



**कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर**

website: [www.education.rajasthan.gov.in/elementary](http://www.education.rajasthan.gov.in/elementary)

email: [aayukt.elc@gmail.com](mailto:aayukt.elc@gmail.com)

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्था/एफ-1/900/स्थायीकरण/2017

☎: 0151-2226551


दिनांक : 16/03/2021

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.),  
प्रारम्भिक शिक्षा, (समस्त)

विषय: विभाग में नियुक्त/कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में ।  
प्रसंग: राज्य सरकार का पत्रांक: प.5(9)प्राशि/2017 जयपुर, दिनांक: 15.03.2021।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि विभाग में नियुक्त/कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

संलग्न: उपर्युक्तानुसार।

  
संयुक्त निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी अनुभाग को रजि. क्रमांक-प्राशि/निजी/रास/608 दिनांक 15.03.2021 के क्रम में।
3. प्रभारी, सूचना सहायक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

  
संयुक्त निदेशक  
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

जयपुर, दिनांक: 15 MAR 2021

क्रमांक: प.5(9)प्रा.शि/2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, समस्त।

विषय:- विभाग में नियुक्त/कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थाईकरण के संबंध में।  
संदर्भ:- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंरा(प्राशि) राजस्थान, बीकानेर का पत्रांक  
शिविरा/प्रारं/शि.सं./एफ-1/900/स्थायीकरण/2017 दिनांक 23.12.2020.

महोदय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत विभाग में नियुक्त/कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थाईकरण संबंधी प्रकरणों में कतिपय जिला परिषदों द्वारा जिला स्थापना समिति की बैठक में अनुमोदन नहीं किया जा रहा है, जिससे तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थाईकरण संबंधी प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं हो पा रहा है। समय-समय पर शिक्षक संघों द्वारा भी तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थाईकरण शीघ्र किये जाने हेतु विभिन्न स्तरों पर मांग पत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थायीकरण प्रस्तावों का अनुमोदन जिला स्थापना समिति, जिला परिषद द्वारा किया जाता है तत्पश्चात् स्थायीकरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा जारी किये जाते हैं।

अतः तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थायीकरण के संबंध में जिला स्थापना समिति के सम्मक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करवाने का श्रम करायें।

भववीया,

(अपर्णा अरोड़ा)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) राजस्थान, बीकानेर को उनके संदर्भित पत्र के संबंध में सूचना प्रेषित है।

11  
(अनीता मीना)  
शासन उप सचिव